संख्या-12/2019/286/चालीस-2019-20(**1**)/2018

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मण्डलायुक्त,
विन्ध्याचल/मेरठ/लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 सितम्बर, 2019

विषयः अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति प्रोत्साहन पुरूस्कार योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल के पत्र सं0-4927/प्र0सहा0-एकीकरण-सूचना/2019, दिनांक 17 जुलाई, **2019**, मण्डलायुक्त, मेरठ के पत्र सं0-2718/15-245/2016-18, दिनांक 31 जुलाई, **2019** एवं मण्डलायुक्त, लखनऊ के पत्र सं0-3924/15-2(2017-18) दिनांक 28 अगस्त, **2019** के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 अन्तर्जातीय/ अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधित विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-20(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, **2010** तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/ चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, **2013** में दी गई शर्तो के अधीन अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल को रू0 22,500/-, मण्डलायुक्त मेरठ को रू0 22,500/- एवं मण्डलायुक्त, लखनऊ को रू0 1,22,500/- अर्थात कुल रू0 1,67,500/- (रूपये एक लाख सड.सठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गई शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का आहरण करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0 डी0 ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- उपर्युक्त से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें**-800-**अन्य व्यय **-13-** अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-**231/2019,** दिनांक 22 मार्च, **2019** द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या-12/2019/286(1)/चालीस-2019-20(**1**)/2018-तददिनांक।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, विन्ध्याचल, मेरठ, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**9,** उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
उप सचिव।